

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 7184 / 12-V(2)

अल्मोड़ा

दिनांक 7-6-2019

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय - अल्मोड़ा में सबोली बैण्ड से तौलबुधानी मोटर मार्ग। (प्रस्ताव सं० 10443/2015)

संदर्भ- आनलाइन आपत्ति।

महोदय,

रही है।

विषयगत प्रकरण में लगाई गई आपत्तियों की निराकरण सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	Short narrative of the project does not give adequate information about the proposal [Online para-1(iii) of Part-I]. It should give comprehensive details of the project in brief.	प्रस्ताव के बारे में आवश्यकता एवं औचित्य का प्रमाण पत्र पार्ट-। के पैरा A-I (iii) में ऑन लाईन कर दिया गया है।
2.	Instead of justification for locating the project in forest land at para D in part I, only benefit of road is mentioned.	प्रस्ताव के बारे में जस्टीफिकेशन पार्ट-। के पैरा D में ऑन लाईन कर दिया गया है।
3.	Some other documents has been uploaded in the place of justification at section D in Form A, Part I. please upload justification with C/S by DFO.	प्रस्ताव के बारे में जस्टीफिकेशन में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त पार्ट-। के पैरा D में ऑन लाईन कर दिया गया है।
4.	Some other documents in the place of non encumbrance details at section L (iv-h) in Form A, part I.	Non encumbranc प्रमाण पत्र के साथ अन्य प्रमाण पत्र पार्ट-। के L सैक्शन में अपलोड कर दिये गये है।
5.	Provided certificate by DM is undated, please upload correct FRA at section K in Form A, part I.	वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्रमाण पत्र में जिला स्तरीय बैठक में प्रमाण पत्र में दिनांक अंकित कर पार्ट-। के सैक्शन ज़ में ऑन लाईन कर दिया गया है।
6.	Google map has been uploaded in the place alternate alignment at section D (ii) in Form A, Part I.	गुगल मानचित्र के स्थान पर मोटर मार्ग का एलटरनेट एलौगमेन्टअ मानचित्र के पार्ट-। के सैक्शन क में ऑन लाईन कर दिया गया है।
7.	FRA certificate issued by DC "not applicable" has been mentioned against bullet-I and bullet-2 in the FRA certificate submitted in FORM-1 which is not correct and revised certificate is required to submitted and uploaded.	वनाधिकार प्रमाण पत्र जिला स्तरीय जिसमें Not applicable लिखा उसे पुनः तैयार कर पार्ट-। में ऑन लाईन कर दिया गया है।

क्रमशः पेज-2 पर

पेज-2

8.	The certificate of aerial distance of the project area is not found uploaded in Form A, Part I.	प्रस्ताव का वन्य जीव अभ्यारण्य दूरी प्रमाण पत्र पार्ट-1 में अपलोड कर दिया गया है।
9.	Name and designation of the competent authority who has issued the authorization letter in favour of Authorized person is not mentioned. [Online para-A-3 (xvii) of par-I]	आथराइटी प्रमाण पत्र पुनः तैयार कर पार्ट-1 के पैरा 1 में ऑन लाईन कर दी गयी है।
10.	Area mentioned in Village wise breakup at B-2.3 and Component wise breakup at B-2.3 are mismatch in figure in Form A, Part I/ please rectify accordingly.	ग्राम याईज ब्रेकअप व कम्पोनेंट वाईज ब्रेकअप पार्ट-1 के 13 (xvii) में ऑन लाईन कर दी गयी है।
11.	Some other map has been uploaded in the place of SOI toposheet map at section L (vi) in Form A, Part I.	प्रस्ताव का टोपोसीट मानचित्र पार्ट-1 के सेक्शन L(vi) में ऑन लाईन कर दिया गया है।
12.	User agency may provide hard copy of the proposal containing original document as the copy provided contains all photocopies.	सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तावक विभाग द्वारा पूर्व में प्रेषित कर दी गयी है। पुनः प्रमाणित छायाप्रति प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

Kumar

(कुबेर सिंह बिष्ट)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा